क्रम संख्या–110 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 263 / XXXVI (3) / 2021 / 49(1) / 2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021'** पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्या: 22 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय,
(क) धारा 6 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 जून, 2021 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ;
(ख) धारा 4 और 5 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2021 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ;
(ग) धारा 2, 3 और धारा 7 से 15 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा और 01 जुलाई, 2017 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा; अर्थात्:–

"(कक) किसी व्यष्टि से भिन्न, किसी व्यक्ति द्वारा, उसके सदस्यों या घटकों को या विपर्ययेन, नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों या संव्यवहारों की परस्पर पूर्ति , ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की गयी समझी जाएंगी;"।

धारा 16 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:—

"(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बाह्य पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं;"।

धारा 35 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (5) का लोप किया जायेगा।

धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:—

वार्षिक विवरणी

"44. किसी इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात, केन्दीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिये नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

धारा 50 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा; अर्थात्:—

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिये प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रानिक नकद खाते से विकलन करके संदत्त किया जाता है।"

धारा 74 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 74 में, स्पष्टीकरण (1) में, खण्ड (ii) में, "तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर "तो धारा 122 और धारा 125 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 75 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्वतः निर्धारित कर" पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बाह्य पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा जो कि धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"।

धारा 83 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अन्तर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"।

धारा 107 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

"परन्तु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"।

धारा 129 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 129 में,–

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी ; अर्थात् :–,

"(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन करता है या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन में हैं, वहां ऐसे सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल तथा प्रवहण से संबंधित दस्तावेज निरोध में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा निरोध या अभिग्रहण के पश्चात् निम्नलिखित रूप में निर्मुक्त हो सकेंगे–

(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;";

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन संदेय रकम के बराबर प्रतिभूति देने पर:

परन्तु इस प्रकार का माल या अभिवहन, माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील कराये बिना निरोध में या अभिग्रहण में नहीं लिया जायेगा।";

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"(3) माल या वाहनों को निरूद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला उचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिये ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।";

(iv) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना उपधारा (3) के अधीन शास्ति अवधारित नहीं की जाएगी।";

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:–

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरूद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा:

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रूपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां निरूद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की सम्भावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि उचित अधिकारी द्वारा, कम की जा सकेगी।"।

धारा 130 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 130 में,–

(क) उपधारा (1) में, "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि" शब्दों के स्थान पर, "जहां" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परन्तुक में, "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 151 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

सूचना मांगने की शक्ति

"151. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।"।

धारा 152 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 152 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्:–

"(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए किसी मामले के संबंध में दी गयी सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सके और ऐसी सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।";

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, प्रस्तर 7 का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्यों का कथन

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए प्रख्यापित किया गया है।

2. प्रस्तावित संशोधन व्यापार सुविधा, सरलीकरण एवं प्रवर्तन उपायों से संबंधित है। संशोधन प्रस्तावों के द्वारा राजस्व के हितों की सुरक्षा हेतु मुख्यतः परिवर्धित प्रवर्तन कार्यों के माध्यम से विसंगतियों को दूर करके और कानून में कमियों को दूर किया गया है। आई0टी0सी0 का गलत तरीके से लाभ उठाने और/या उपयोग करने के मामले को भी सम्यक रूप से संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय ऐसे परिवर्तन भी प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करके व्यवसायों की सहायता करना है।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन अपेक्षित है।

4. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत
मंत्री
विधायी एवं संसदीय कार्य